

518

91 10

316

**न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर  
सर्किट कोर्ट टीवा (म०प्र०)**



वंशराज सिंह तनय मनोहर सिंह निवासी ग्राम-कोचिटा,  
तहसील-गोपदबनास, जिला-सीधी म०प्र०

-----आवेदक/निगरानीकर्ता

**बनाम**

- 1- हिन्डलाल तनय दुलारे
  - 2- हरिहर सिंह तनय दौलत सिंह
- दोनों निवासी ग्राम-कोचिटा, तहसील-गोपदबनास,  
जिला-सीधी म०प्र०

-----अनुवेदकगण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश  
तहसीलदार साहब तहसील  
गोपदबनास, जिला-सीधी द्वारा  
प्रकरण क्रमांक 27/अ-6(अ)  
/08-09 में पारित दिनांक  
05-07-12

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०  
भू-राजस्व संहिता 1959

**मान्यवर,**

**निगरानी प्रकरण के आधार निम्न है:-**

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब द्वारा पारित निर्णय व आदेश विधि, प्रक्रिया एवं प्रकरण में आये तथ्यों एवं न्याय के मौलिक एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि पुराना भूमि नम्बर 378 का जुज रकवा 2 एकड़ स्थित ग्राम-कोचिटा, तहसील-गोपदबनास, आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है, जिस पर वह पूर्वजों

R.3867-II/12

अधिवक्ता श्री रातगेश  
मिश्रा द्वारा प्राप्त  
सेवा.दि. 21.08.2012  
[Signature]  
21.8.12

[Signature]

[Signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

91

प्रकरण क्रमांक R3067-I/12

जिला-सीधी

वंशराज सिंह/ हिन्दलाल

(1)	(2)	(3)
05/8/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामनरेश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गोपदबनास के प्रकरण क्रमांक 27/अ-6(अ)/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	